आचार्य तुलसी कर्तृत्व पुरस्कार-2011

अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल

पंजीकृत कार्यालयः **'रोहिणी' जैन विश्व भारती, लाडनूँ, जिला-नागौर, राजस्थान-341306**
आवेदन हेतु संपर्कः **श्रीमती सायर बैंगानी** 7 बी. श्रीराम रोड, दिल्ली-110054 मो. 9818403318

वर्ष 2011 के लिए योग्य महिला अभ्यर्थियों अथवा संस्थाओं के नाम के प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं जिन्होंने समाज में अध्यात्म, साहित्य, कला, विज्ञान, प्रशासन, नारी उत्थान, समाज सेवा आदि किसी एक विशेष क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया हो।

पुरस्कार स्वरूप 1,00,000/- धनराशि का चैक, प्रशस्ति पत्र ससम्मान प्रदान किया जाएगा।

आपके प्रस्ताव निर्धारित फॉर्म पर आवश्यक अनुलग्नकों सहित संस्था के कार्यालय में 08 फरवरी, 2011 तक जमा हो जाने चाहिए। फॉर्म एवं नियमावली महिला मंडल की वेबसाइट - website.abtmm.com से प्राप्त कर सकते हैं।

– सायर बैंगानी (निदेशक)

आचार्य तुलसी कर्तत्व पुरस्कार

(आवेदन के लिए प्रारूप)

अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल

7/बी, श्रीराम रोड, सिविल लाइन, दिल्ली-110054, मो. 9818403318

---

1. प्रस्तावित महिला / संस्था का नाम :

   ....

2. पूरा पता :

   ....

   ....

   ....

3. सम्पर्क सूत्र :

   एस. टी. डी. कोड नं. .... टेलिफोन नं. ....

4. प्रस्तावित महिला / संस्था का संक्षिप्त परिचय :
   (केवल 400 शब्दों में, अलग से कागज लगाएं।)

5. अध्यात्म, शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान, संस्कृति, समाज सेवा, नारी जागरण, प्रशासन आदि क्षेत्र में किए गए सघन कार्यों का ब्यौरा :
   (केवल 400 शब्दों में, अलग से कागज लगाएं।)

6. आवेदन की तिथि तक प्राप्त महत्वपूर्ण सम्मान / पुरस्कार :
   (अलग से कागज लगा कर उल्लेख करें।)

7. प्रस्तावक व्यक्ति / संस्था का नाम :

   ....

8. पूरा पता :

   ....

   ....

   ....

9. संपर्क सूत्र :

   एस. टी. डी. कोड नं. .... टेलिफोन नं. ....

10. आपके विचार में प्रस्तावित महिला / संस्था को पुरस्कार क्यों मिलना चाहिए :
    (केवल 400 शब्दों में, अलग से कागज लगाएं।)

प्रस्तावक द्वारा घोषणा :

मैं वर्ष 2011 के आचार्य तुलसी कर्तत्व पुरस्कार के लिए उपरोक्त महिला/संस्था के नाम को प्रस्तावित करता/करती हूँ। मेरी जानकारी में मेरे द्वारा प्रदत्त सूचनाएं सत्य एवं वैध हैं।

प्रस्ताव प्रेषण तिथि : ....

प्रस्तावक के हस्ताक्षर : ....

प्रस्तावक का पद : ....

अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल

आचार्य तुलसी कर्तृत्व पुरस्कार

'आचार्य तुलसी कर्तत्व पुरस्कार' अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल का एक गरिमामय सम्मान है। यह पुरस्कार अध्यात्म, शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान, संस्कृति, समाज सेवा, नारी जागरण, प्रशासन आदि क्षेत्र में सघन कार्य करनेवाली महिला/महिला उत्थान के लिए कार्य करनेवाली संस्था को प्रदान किया जाता है।

आचार्य तुलसी का कर्तत्व बहुआयामी रहा। उन्होंने महिला समाज की सुषुप्त चेतना को जागत किया और उसे उसकी अस्मिता की पहचान कराई। आजादी के बाद से अब तक महिला समाज ने अपनी विशेष पहचान बनाई, व्यक्तित्व विकास की ऊँचाइयों को छुआ और समाज में सम्मान का दर्जा प्राप्त किया। आचार्य तुलसी की नारी जागति के अवदानों के प्रति महिला समाज कृतज्ञ है और 'आचार्य तुलसी कर्तत्व पुरस्कार' उस महामानव के प्रति एक विनम्र श्रद्धांजलि है।

'आचार्य तुलसी कर्तत्व पुरस्कार' वर्ष 2003 में प्रारंभ किया गया। वर्ष 2003 का श्रीमती पूर्णिमा आडवाणी, वर्ष 2005 का श्रीमती किरण बेदी, वर्ष 2008 का श्रीमती सावित्री जिन्दल को धर्मचक्रवर्ती श्रद्धेय आचार्य महाप्रज्ञ के सान्निध्य में संस्था द्वारा आयोजित एक भव्य समारोह में ससम्मान प्रदान किया गया।

नियमावली

अध्याय 1 : पुरस्कार

(क) यह पुरस्कार समाज में अध्यात्म, शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान, संस्कृति, समाज सेवा, नारी जागरण, प्रशासन आदि क्षेत्र में सघन रूप से कार्य करनेवाली महिला/महिला उत्थान के लिए कार्य करनेवाली संस्था को प्रदान किया जाएगा।

(ख) यह पुरस्कार प्रत्येक दो वर्षों के अन्तराल से किसी महिला/संस्था को प्रदान किया जाएगा जो नियमावली में उल्लिखित नियमों के अनुरुप होगा।

(ग) पुरस्कार स्वरूप एक लाख सममूल्य की अर्थराशि का चैक, प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिह्न ससम्मान प्रदान किया जाएगा। भविष्य में पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जानेवाली अर्थ राशि में परिवर्तन किया जा सकता है जिसका अधिकार अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल को होगा।

(घ) यह पुरस्कार दो महिलाओं/दो संस्थाओं/एक महिला और एक संस्था को संयुक्त रूप में भी प्रदान किया जा सकता है यदि पुरस्कार की चयन समिति उस वर्ष के लिए दोनों को समान रूप से योग्य पात्र समझे। संयुक्त पुरस्कार घोषित होने पर प्रदान की जानेवाली राशि दोनों को समान रूप से बाँट दी जाएगी।

(ङ) पुरस्कार चयन समिति की दष्टि में किसी वर्ष यदि इस पुरस्कार की गरिमा के अनुरूप प्रविष्टियाँ प्राप्त नहीं होती हैं तो चयन समिति को यह अधिकार होगा कि वह उस वर्ष-विशेष का पुरस्कार किसी को न दे।

(च) कोई महिला/संस्था एक बार पुरस्कार प्राप्त करने के बाद पुनः पुरस्कार की अधिकारी नहीं होगी।

(छ) किसी दिवंगत महिला के प्रस्तावित नाम पर पुरस्कार के लिए विचार नहीं किया जाएगा। प्रस्ताव प्रेषित कर देने के बाद यदि प्रस्तावित महिला दिवंगत हो जाती है तो उसके नाम के प्रस्ताव की प्रविष्टि को स्वीकृत समझा जाएगा। पुरस्कार चयन समिति द्वारा यदि उस महिला का नाम चयन किया जाता है तो उसके सम्मान में मरणोपरांत पुरस्कार उनके उत्तराधिकारी को सौंप दिया जाएगा।

(ज) पुरस्कार के लिए प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक संस्था की सम्पत्ति होगी जिसे वापस लौटाया नहीं जा सकेगा।

अध्याय 2 : पात्रता

(क) पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता जाति, मूलवंश व धर्म के भेद-भाव के बिना विश्व के किसी भी भाग से संबंधित हो सकता है।

(ख) इस पुरस्कार के लिए जिस महिला के नाम को प्रस्तावित किया जाए, वह बुनियादी स्तर की कार्यकर्त्ता हो, जिसने अध्याय 1(क) में उल्लिखित क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया हो और जिसने स्वस्थ समाज संरचना के लिए समाज को विशेष रूप से प्रेरित किया हो।

(ग) इस पुरस्कार के लिए ऐसी संस्था अथवा संगठन का नाम भी प्रस्तावित किया जा सकता है जिसने नारी जागति व महिला उत्थान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया हो।

(घ) इस पुरस्कार के लिए प्रस्तावित महिला/संस्था के नाम से यह अपेक्षा की जाती है कि नैतिक मूल्यों के प्रति उनकी आस्था हो और आचार्य तुलसी के आदर्शों एवं सिद्धान्तों के अनुरूप उनकी जीवन शैली/कार्य शैली हो।

(ङ) इस पुरस्कार के लिए व्यक्तिगत रूप से किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(च) पुरस्कार के लिए तभी किसी नाम पर विचार किया जाएगा जबकि इस नियमावली के अध्याय 3(क) के अनुसार कोई व्यक्ति/संस्था लिखित रूप से किसी महिला/संस्था के नाम को प्रस्तावित करे।

अध्याय 3 : प्रस्तावकर्त्ता

(क) पुरस्कार के लिए किसी महिला/संस्था के नाम को प्रस्तावित करने का अधिकार निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को होगा :

- इस पुरस्कार की चयन समिति के भूतपूर्व सदस्य
- इस पुरस्कार से पुरस्कृत महिला/संस्था
- भारतीय संसद के सदस्य
- भारत के किसी भी विश्वविद्यालय के कुलपति एवं विभागाध्यक्ष
- विदेश स्थित भारतीय मिशनों के प्रमुख
- देश के विशिष्ट गण्यमान्य व्यक्ति
- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ जिनका उद्देश्य नारी जाति का उत्थान करना है।
  (प्रस्ताव प्रेषित करनेवाली ऐसी संस्थाएँ आवेदन फॉर्म के साथ अपनी संस्था का फोल्डर संलग्न करें।)
- कोई अन्य व्यक्ति/संस्था जिसे चयन समिति पुरस्कार का प्रस्ताव प्रेषित करने के लिए उपयुक्त समझे।

(ख) कोई एक व्यक्ति/संस्था किसी एक महिला/संस्था के नाम को ही प्रस्तावित कर सकता है।

(ग) पुरस्कार के प्रस्ताव के लिए निर्धारित फॉर्म का उपयोग करना आवश्यक है एवं उसमें वांछित जानकारियाँ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(घ) प्रस्तावकर्त्ता द्वारा प्रेषित संपूर्ण विवरण उनकी जानकारी में प्रामाणिक एवं सत्य होना चाहिए।

(ङ) विचारार्थ प्रस्तुत प्रस्तावों के समर्थन में प्रस्तावकर्त्ता द्वारा पर्याप्त साक्ष्य संलग्न करना आवश्यक है।

(च) प्रस्तावकर्त्ता द्वारा प्रेषित प्रस्ताव आवश्यक अनुलग्नकों सहित संस्था के निर्देशक के पास निर्धारित तिथि तक पहुँच जाना चाहिए।

(छ) निर्धारित तिथि के बाद प्रेषित/प्राप्त प्रस्ताव/अनुलग्नक स्वीकार कर पाना संभव नहीं होगा।

अध्याय 4 : चयन समिति

(क) पुरस्कार संबंधी प्रक्रिया के सम्यक संचालन के लिए एक निर्देशक की नियुक्ति की जाएगी। निर्देशक चयन समिति के सभी कार्यों में सहयोगी होगा।

(ख) चयन समिति में चेयर पर्सन एवं निर्देशक सहित सात सदस्य होंगे जो निष्पक्षता एवं समदर्शिता की भावना के प्रति समर्पित होंगे। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की अध्यक्ष चयन समिति में पदेन सदस्य होंगी। पुरस्कार के स्थायी कोष की प्रदाता श्रीमती मोहिनी देवी चोरड़िया चयन समिति की आजीवन सदस्य होंगी। चेयर पर्सन, निर्देशक एवं चयन समिति के अन्य तीन सदस्यों की नियुक्ति अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी।

(ग) चयन समिति का कार्यकाल दो वर्षों का होगा। आवश्यकता पड़ने पर चयन समिति का कार्यकाल छः माह के लिए बढ़ाया जा सकता है।

(घ) चयन समिति के गठन की अवधि से पुरस्कार की घोषणा होने की अवधि तक चयन समिति का कोई सदस्य त्यागपत्र नहीं दे सकेगा।

(ङ) चयन समिति अध्याय 3(क) में उल्लिखित व्यक्तियों को पुरस्कार हेतु नाम प्रस्तावित करने के लिए आवश्यक प्रपत्र प्रेषित करेगी।

(च) चयन समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आयोजित की जाएगी। बैठक के आयोजन की सूचना चयन समिति के सदस्यों को कम-से-कम 15 दिन पूर्व प्रेषित की जाएगी। आपातकालीन बैठक यदि आयोजित की जाएगी तो उसकी सूचना 7 दिन पूर्व टेलिफोन से दी जाएगी।

(छ) चयन समिति की बैठक के कोरम के लिए 4 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। कोरम पूरा न होने पर स्थगित बैठक आधे घंटे के बाद की जा सकेगी जिसके लिए कोरम पूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी बैठक में पुरस्कार संबंधी अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता।

(ज) चयन समिति की बैठक चेयर पर्सन की अध्यक्षता में होगी। चेयर पर्सन की अनुपस्थिति में चेयर पर्सन की लिखित स्वीकृति से अधिकृत सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा जो कि चयन समिति के सदस्यों में से ही होगा।

(झ) पुरस्कार हेतु प्राप्त प्रविष्टियों पर परस्पर सहचिन्तन एवं विचार करने का अधिकार और दायित्व चयन समिति को होगा। यदि आवश्यकता हो तो चेयर पर्सन की पूर्व सम्मति से नामांकन प्रस्तावों को विचार-विमर्श हेतु चयन समिति के सदस्यों को प्रेषित किया जा सकता है।

(ञ) पुरस्कार के लिए अपेक्षित छानबीन एवं अंतिम निर्णय चयन समिति करेगी।

(ट) चयन समिति का निर्णय यदि एकमत से संभव नहीं होता है तो चयन समिति के उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। दोनों पक्षों के समर्थन में बराबर की सहमति रहने पर चेयर पर्सन को निर्णायक अभिमत प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

(ठ) चयन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की सिफारिश करना न्यायसंगत नहीं है। चयन समिति किसी भी सिफारिश पर ध्यान नहीं देगी।

(ड) पुरस्कार के संदर्भ में चयन समिति की बातचीत, राय, विचार-विमर्श, कार्यवाही एवं निर्णय सार्वजनिक रूप से प्रचारित नहीं किए जाएंगे, चयन समिति इसे सर्वथा गोपनीय रखेगी। पुरस्कार संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद चयन समिति के चेयर पर्सन को विजेता के नाम की घोषणा करने का अधिकार होगा।

(ढ़) पुरस्कार संबंधी अंतिम निर्णय निर्धारित की जानेवाली बैठक में चेयर पर्सन की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(ण) पुरस्कार की प्रक्रिया को गति देने के लिए चयन समिति आवश्यक समझती है तो एक सलाहकार की नियुक्ति की जा सकती है जिसका अधिकार अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की अध्यक्ष को होगा।

(त) चयन की संपूर्ण प्रक्रिया से प्राप्त निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। इसके विरूद्ध किसी प्रकार की अपील/दलील/विरोध/चुनौती नहीं की जा सकेगी और न ही वह मान्य होगी।

(थ) चयन समिति का दायित्व है कि प्रक्रिया का समुचित समायोजन हो और इस लक्ष्य की संपूर्ति के लिए वह किसी अन्य आवश्यक धारा को नियमावली में समाविष्ट कर सकती है।

(द) चयन समिति पुरस्कार के उद्देश्य एवं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियमावली की किसी धारा में संशोधन आवश्यक समझती है तो वह उसकी अवगति अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के अध्यक्ष को देगी। अध्यक्ष उसपर पर्याप्त चिन्तन कर अपने विवेक से नियमावली की धारा में आवश्यक संशोधन कर सकता है।

* * * * * * *